न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरविन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
09/प्रा0पत्र/23(2023/21)	24.01.2023	24.06.2024

हरिप्रसाद आत्मज परमानन्द उम्र वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र हीरालाल जाति रेगर निवासी अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क

उपस्थित अभिभाषक
अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री नन्दसिंह सीलंकी
अभिभाषक अप्रार्थी :– श्री रामरतन सुमन

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–क राज. टीनेन्सी एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है। प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर पर आने–जाने के लिए, कृषि उपकरण लाने–ले जाने के लिए, ट्रेक्टर –ट्रोली आदि लाने–ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भुमि खसरा संख्या 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा जो कि प्रार्थी की भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित है, पर बने हुये 20 फुट चौड़े रास्ते का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को भी है। प्रार्थी के पास अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर पर आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर मे स्थित रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी ने प्रार्थी को खसरा संख्या 1408/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर मे स्थित रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी के पास स्वयं के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। वर्तमान मे रास्ते के अभाव में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर पड़त पड़ी हुई है। प्रार्थी ने गांव मे ही अप्रार्थी से सहमति बतौर खसरा संख्या 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर मे से रास्ता निकालने, उसकी ऐवज मे पैसे देने की दिनांक 09–04–2023 को चर्चा की, परन्तु उक्त रास्ता देने बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सहमति नहीं बनी। अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 09–04–2023 को सहमति से रास्ता नहीं देने बाबत प्रार्थी के पास न्यायालय श्रीमान के समक्ष कृषि भूमि खसरा संख्या 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा मे से 20 फुट चौड़ा रास्ता कृषि भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर तक की पहुंच के लिए उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रार्थी के द्वारा उक्त आवेदन पत्र रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता

Scanned with OKEN Scanner

कारण ही प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमि के अन्य लाभ एवं मूल्य वृद्धि हेतु नहीं पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1568/250 रकबा 0.5747 हैक्टेयर जो कि वाके ग्राम अकतासा मे विस्थित है, पर पहुंच के लिए नवीन मार्ग खसरा संख्या 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा मे स्थित है, मे से 20 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व नक्शे मे तरमीम करने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को स्वीकार कर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया।

पक्षकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी रजामंदी से राजीनामा पेश किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार तालेडा ने रिपोर्ट जर्ये पत्रांक 132 दिनांक 19.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा प्रा0पत्र में प्रस्तावित किया गया मार्ग न्यूनतम है एवं मौके पर उपयोग किया जा रहा है जो ख0सं0 1406/993 रकबा 0.3642 हैक्टे0 खातेदार बद्रीलाल आ0 हीरालाल रेगर नि0 अकतासा की भूमि से गुजरेगा एवं रास्ते की लम्बाई 190 फीट गुणा 20 फिट कुल 3800 वर्गफीट(0.0371 हैक्टे0) है। साथ ही रास्ते का प्रस्तावित नक्शा रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंच हेतु अप्रार्थी सं0 1 की भूमि से रास्ता देने हेतु निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि रिपोर्ट तहसीलदार में प्रस्तावित रास्ता नक्शा मौका अनुसार रेल्वे विभाग की भूमि पर जाते हुए मुख्य रास्ते पर पहुंचता है। अतः रेल्वे विभाग को सुने बिना रेल्वे विभाग की भूमि से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी , नक्शा ट्रेस वर्तमान जिसमें रास्ता प्रस्तावित किया गया एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि ख0सं0 1568/250 से प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 1406/993 से होता हुआ रेल्वे विभाग की भूमि पर जाता है एवं तत्पश्चात आगे कोई रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है, जिससे प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने पर यह रास्ता अन्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्ते से मिलता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि पर जाने हेतु पूर्ण रास्ता नहीं होने एवं अन्य रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नहीं करने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner